संख्या- 85/2018/3847/33-3-2018-118/2018

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

2- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2018**

विषय- भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS) - **द्वितीय चरण आयोजित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एस-18020/302/2015-एसबीएम, दिनांक 18 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वतन्त्र संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के संकेतकों में परिवर्तन की स्थिति : मुख्यत: खुले में शौच मुक्त घोषित, सत्यापित एवं ओ0डी0एफ0 स्थायित्व के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS-द्वितीय चरण) कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच के व्यवहार में कमी लाना, ओ0डी0एफ0 स्थिति की स्थिरता एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रबन्धन सुनिश्चित करना है। सर्वेक्षण का कार्य 06 जून 2018 तक खुले में शौच मुक्त घोषित तथा सत्यापित ग्रामों में किया जाना है। सर्वे का यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा यह जिलों तथा प्रदेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के कार्यों का मानदण्ड होगा। इस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गई वीडियो कान्फ्रेन्स दिनांक 24, अक्टूबर 2018 में चर्चा की गई थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपरोक्तानुसार सर्वेक्षण में ओ0डी0एफ0 घोषित एवं सत्यापित ग्रामों में तीन स्तरों, व्यक्तिगत पारिवारिक, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत/ सामुदायिक स्तर पर तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रबन्धन भी सम्मिलित होंगें, जिसमें मुख्यत: शौचालय की उपलब्धता, शौचालय की सुरक्षित तकनीक, गतिशीलता, प्रत्येक सदस्यों द्वारा प्रयोग, बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान, खुले क्षेत्रों में मल का दृश्यमान न होना, जल भराव, कूड़ा-करकट का इकट्ठा होना एवं सामान्य साफ-सफाई का अवलोकन एवं इस पर मूल्यांकन किया जायेगा।

3- राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS) प्रथम चरण के सर्वेक्षण में मूल्यांकन के दौरान मुख्यत: निम्न कमियाँ पाई गई थी:-

- जनपदों द्वारा एम0आई0एस0 पर संतृप्तीकरण की अधिक रिपोर्टिंग की गई थी जबकि वास्तविक रूप में शौचालय उससे कम मात्रा में निर्मित थे।
- ओ0डी0एफ0 घोषित एवं सत्यापित ग्रामों में कुछ स्थानों पर शौचालयों का उपयोग शत प्रतिशत नहीं किया जा रहा था।
- शौचालय निर्माण में असुरक्षित तकनीक का प्रयोग किया गया था। मुख्यत: निर्मित सेप्टिक टैंक में सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण नही था।
- बच्चों के मल का निपटान समुचित रुप से नही किया जा रहा था।

4- उक्त असन्तोषजनक स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमानुसार निर्धारित बिन्दुओं पर समस्त आवष्यक तैयारियां कर ली जायें। दिनांक 01 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2018 तक जनपदों के प्रत्येक ग्राम में एक ''वृहद स्वच्छता जागरुकता अभियान'' का आयोजन किया जाये तथा इसमें समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसे जन आंदोलन की भावना के अनुरूप क्रियान्वित किया जाये। इस सर्वेक्षण में जिन बिन्दुओं पर विशेष रूप से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं, वे निम्नलिखित हैं-

(i) 06 जून 2018 से पूर्व खुले में शौच मुक्त घोषित ग्रामों में शत-प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की उपलब्धता एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा उसका प्रयोग करने एवं विशेष रुप से बच्चों के मल के समुचित निस्तारण पर बल दिया जाये।

(ii) इस अवधि में समस्त अक्रियाशील शौचालयों को क्रियाशील बनाया जाये। जो ग्राम ओ0डी0एफ0 घोषित किये जा चुके हैं तथा जिन शौचालयों के पूर्ण होने की प्रगति प्रेषित की गई है, उसका पुन: निरीक्षण कराकर सुनिश्चित किया जाये कि शौचालय मौके पर पूर्ण होने के साथ ही उपयोग में भी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(iii) समस्त सार्वजनिक स्थल यथा विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, में शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, एवं सार्वजनिक स्थानों में कहीं भी कूड़ा-करकट न पड़ा रहे।

(iv) ग्राम की गलियों एवं अन्य सावर्जनिक स्थलों को जल निकासी एवं जल भराव की समस्या से मुक्त कराकर सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में साफ-सफाई सुनिश्चित की जाये। ग्राम में जल भराव की स्थिति न हो, इस हेतु इन स्थलों, मार्गों एवं नाले-नालियों की भी विशेष सफाई सुनिश्चित की जाये।

(v) सफाई कर्मचारियों का समूह गठित कर ग्रामों में साफ-सफाई का अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों पर जल भराव तथा कूड़ा-करकट आदि का सुरक्षित निस्तारण करा लिया जाये।

(vi) जन सामान्य को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किये जा रहे शौचालय निर्माण एवं अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाये।

इसकी समीक्षा नियमित रूप से निदेशालय, मण्डलीय स्तर एवं जनपद स्तर पर सुनिश्चित की जाये। समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने स्तर पर प्रत्येक सप्ताह इसकी गहन समीक्षा करेंगें तथा मण्डलीय एवं जनपदीय स्तर के अधिकारियों द्वारा ग्रामों का सघन निरीक्षण कराते हुए उपरोक्त समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। इस अभियान की अवधि में की गई प्रगति से प्रत्येक सोमवार को मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को ई मेल- sbmgup2018@gmail.com पर उपलब्ध कराई जाये।

<u>संलग्नक:- यथोक्त।</u>

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।